हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | प्रा0पत्र सं. 156/22, बुद्वराम बनाम भूमिधारी | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों का दौहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम डाबला की भूमि ख.न. 775 रकबा 1.92 है0 का प्रार्थी खातेदार है। प्रार्थी के पिता सुलतान पुत्र प्रभात के फौत होने पर विरासत का खाता दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम पप्पूराम पुत्र सुलतान दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम बुद्वराम पुत्र सुलतान है। प्रार्थी को घर परिवार पर बचपन में प्यार से पप्पुराम के नाम से बुलाते थे। इस कारण रिकार्ड में पप्पुराम दर्ज हो गया प्रार्थी ने अपने सभी दस्तावेज पेश किये है जिसमें प्रार्थी का सही नाम बुद्वराम पुत्र सुल्तान दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी से भी मेरे प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड ग्राम डाबला खसरा नम्बर 775 रकबा 1.92 है0 के 1/12 हिस्से की खातेदारी पप्पुराम पुत्र बुद्वराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्सा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी को बचपन में घर परिवार में प्यार से पप्पुराम के नाम से बुलाया जाता था इस कारण राजस्व रिकार्ड में पप्पुराम पुत्र सुलतान नाम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम बुद्वराम पुत्र सुल्तान है। प्रार्थी के कथन की पुष्टि प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेजात आधार कार्ड,मतदाता फोटो पहिचान पत्र राशन कार्ड, बैक पासबुक व रिपोर्ट पटवारी हल्का डाबला से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड, दस्तावेजात, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, बयान गवाहान के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरूस्ती के तहसीलदार पाटन को आदेश दिये जाते हैः–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
डाबला	खाता संख्या 137, ख.न. 775	पप्पुराम पुत्र सुलतान	बुद्वराम पुत्र सुलतान

शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)